



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2753]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2013/अग्रहायण 20, 1935

No. 2753]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013/AGRAHAYANA 20, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3641(अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लोकहित में प्रयोग करते हुए, लाइनर पोत परिवहन उद्योग के जलयान हिस्सेदारी करार (वी.एस.ए.) को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए किसी भी भारतीय पत्तन से किसी राष्ट्रीयता के सभी राष्ट्रों के प्रचालित पोतों की बाबत प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान, भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय, पोत परिवहन के महानिदेशक, ऐसे करारों को मानीटर करेंगे और भारत में ऐसे पोतों के प्रचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों), विद्यमान जलयान हिस्सेदारी करारों और/या किए जाने वाले जलयान हिस्सेदारी करारों की प्रतियों को, उक्त अवधि के दौरान प्रयोजनीयता के साथ अन्य सुसंगत दस्तावेजों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसे करार (करारों) पर हस्ताक्षर किए जाने के दस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, महानिदेशक, पोत परिवहन को फाइल करेंगे।

[फा. सं. 5/20/2011-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2013

S.O. 3641(E)—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the Vessel Sharing Agreements (VSAs) of Liner Shipping Industry from the provisions of Section 3 of the Competition Act, for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of carriers of all nationalities operating ships of any nationality from any Indian Port.

During the said period of one year, the Director General, Shipping, Ministry of Shipping, Government of India shall monitor such agreements and for which, the person(s) responsible for operations of such ships in India shall file copies of existing VSAs and/or VSAs to be entered into with applicability during the said period alongwith other relevant documents within thirty days of the publication of this notification or within ten days of signing of such agreement(s), whichever is later, with the Director General, Shipping.

[F. No. 5/20/2011-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.